न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 30 / 2018 नामान्तरकरण अपील

1. कैलाश पुत्र स्व. रामकिशन
2. अनिल पुत्र स्व. रामकिशन
3. मुरारीलाल पुत्र स्व. रामकिशन
4. भगवत पुत्र स्व. रामकिशन

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. जयकिशन पुत्र स्व. रामदयाल
2. मोहनलाल पुत्र स्व. रामदयाल
3. रामरतन पुत्र स्व. रामदयाल
4. शिवरतन पुत्र स्व. रामदयाल
5. प्रेमरतन पुत्र स्व. रामदयाल
6. कौशल्या पुत्री स्व. रामदयाल
7. कमला पुत्री स्व. रामदयाल
8. किरन पुत्री स्व. रामदयाल
9. मीना पुत्री स्व. रामदयाल
10. ममता पुत्री स्व. रामदयाल
11. रामप्यारे पुत्र विश्वेश्वर
12. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोविन्द
13. बैजनाथ पुत्र गोपीलाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।

14. राज. सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।
15. उप पंजीयक लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 4554 दिनांक 04.05.2018 ग्राम लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा)

उपस्थिति :– 1 : श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता अपीलान्टस् उपस्थित ।
2 : रेस्पोडेन्ट् सं. 1 लगा. 13 बावजूद तामील अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक: 06.11.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी कृषि भूमि खाता सं. 1030 के हाल खसरा नं. 2321 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 2439 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 2441 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 3576 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा ग्राम लालसोट पटवार हल्का लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी हाल सम्वत 2072–75 के अनुसार काश्तकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 13 के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट्स अपने पूर्वजो के जमाने से काबिज काश्त करते चले आ रहे है एवं आज दिनांक को भी अपीलान्ट्स का ही कब्जा काश्त है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध

अति० जिला कलेक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में अपीलान्ट्स द्वारा एक वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष उनवानी कैलाश बनाम रामदयाल वाद सं. 144/2008 प्रस्तुत किया था। जिसमे 1 जून 2009 को अपीलान्ट्स के हक में डिक्री किया गया। निर्णय व डिक्री के आधार पर अपीलान्ट्स को प्रशनगत भूमि का मालिक व स्वामी घोषित किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 10 ने रेस्पोडेन्ट सं. 14 तहसीलदार लालसोट से मिलीभगत कर विवादित भूमि के खाता सं. 1030 का विरासत का नामान्तरकरण सं. 4554 दिनांक 04.05.2018 को रामदयाल के विधिक वारिसान के रूप में बिना किसी उत्तराधिकारी की जांच किये तथा उपखण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2009 के विरूद्ध मनमाने तरीके से रेस्पो. सं. 14 तहसीलदार लालसोट ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर उक्त नामान्तरकरण सं. 4554 का इन्द्राज रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 9 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया है। तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक किये गये उक्त नामान्तरकरण सं. 4554 दिनांक 04.05.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 13 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस सुनी गई। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम लालसोट तहसील लालसोट में स्थित आराजी कृषि भूमि खाता सं. 1030 के हाल खसरा नं. 2321 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 2439 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 2441 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 3576 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी हाल सम्वत 2072–75 के अनुसार काश्तकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 13 के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट्स अपने पूर्वजो के जमाने से काबिज काश्त करते चले आ रहे है एवं आज दिनांक को भी अपीलान्ट्स का ही कब्जा काश्त है। अपीलान्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष एक वाद सं. 144/2008 उनवानी कैलाश बनाम रामदयाल बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 प्रस्तुत किया। जिसमे अपीलान्ट्स के हक में दिनांक 1 जून 2009 को डिक्री किया गया। निर्णय व डिक्री के आधार पर प्रश्नगत भूमि का मालिक व स्वामी घोषित किया गया। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट्स व उसके पूर्वज सम्वत 2008 से काबिज काश्त करते आ रहे है तथा आज भी काबिज काश्त है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश नोट अंकित होने के कारण अपीलान्ट्स का नाम निर्णय की पालना में अंकित नहीं किया गया था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 10 ने रेस्पोडेन्ट सं. 14 तहसीलदार लालसोट से मिलीभगत कर विवादित भूमि के खाता सं. 1030 का विरासत का नामान्तरकरण सं. 4554 दिनांक 04.05.2018 को रामदयाल के विधिक वारिसान के रूप में बिना किसी उत्तराधिकारी की जांच किये तथा उपखण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2009 के विरूद्ध मनमाने तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर उक्त नामान्तरकरण सं. 4554 का इन्द्राज रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 9 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया है। नामान्तरकरण प्रोसिडिंग एक फिस्कल प्रक्रिया है। जहां नामान्तरकरण से किसी के भी अधिकार तय नहीं होते है। उक्त नामान्तरकरण प्रक्रिया विधि विरूद्ध तरीके से की गई है। अतः ग्राम लालसोट तहसील लालसोट में स्थित कृषि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

भूमि खाता सं 1030 के हाल खसरा नं. 2321 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 2439 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 2441 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 3576 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा के सम्बन्धं में तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक किये गये विरासत के नामान्तरकरण सं. 4554 दिनांक 4.5.2018 निरस्त फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6. 2009 की पालना में अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश फरमावे।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी का विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जिससे अपीलान्ट्स प्रभावित नहीं हो रहा है। चूंकि अपीलान्ट्स ने अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजात साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये जिससे यह साबित हो कि अपीलान्ट्स उक्त विवादग्रस्त आराजी में अपना हक रखता हो। अपीलान्ट्स का यह कथन है कि उपखण्ड अधिकारी लालसोट ने अपने निर्णय/डिक्री दिनांक 1.6.2009 के द्वारा अपीलान्ट्स को उक्त विवादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्से का मालिक व स्वामी घोषित किया गया था। जब अपीलान्ट्स को स्वामी व मालिक घोषित किया जा चुका था तो उक्त निर्णय/डिक्री की पालना करवानी चाहिये थी। इस न्यायालय में अपील करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट्स खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है तथा नामान्तरकरण सं. 4554 दिनांक 04.05.2018 ग्राम लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 6.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा